रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240499 CG-DL-E-23112022-240499

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5200] No. 5200] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5429(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52(old NH218) के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

7759 GI/2022 (1)

# अनुसूची

## कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52(old NH218) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का	राज्य	जिले का	तालुक का नाम	गांव का नाम
संख्या		विवरण		नाम		
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग धारवाड़ -1		कर्नाटक	गदग	नारगुंड	1       कलाकेरी         2       कसाबा नारगुंड         3       सोमपुरा         4       अर्बाना नारगुंड

फा. सं. RW/NH/218/Km 133 to Km140/KNT/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

**S.O.** 5429(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No 52(Old NH-218) in the State of KARNATAKA.

### **SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. 52 (Old NH218) in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Special Land Acquisition officer National Highways Dharwad -1		KARNATAKA	GADAG	N	Naragund	1 Kalakeri 2 Kasaba Naragund 3 Somapura 4 Arbana Naragund
---	--	-----------	-------	---	----------	---

[F. No. RW/NH/218/Km133 to Km 140/KNT/2022] RAJESH GUPTA, Director